HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 7394/2026

Dinesh Kumar Yadav S/o Shri Shivdayal Yadav, Aged About 45 Years, R/o Dhani Jarsingh Vali, Village Nareda, Tehsil Kotputli, District Jaipur, Rajasthan.

----Petitioner

Versus

1. United India Insurance Ltd., Through Branch Manager, Branch Office Nh-8, Near Deewan Hotel, Kotputli, Jaipur.
2. United India Insurance Ltd., Through Regional Manager, Add-Sahara Chamber, Floor No.02, Tonk Road, Jaipur.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Abhinav Srivastava
For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE SAMEER JAIN

Order

01/05/2026

1. The present petition is filed against the impugned award dated 11.02.2026, passed by the learned Permanent Lok Adalat, Jaipur District, Jaipur, whereby the application preferred by the petitioner has been dismissed.

2. This Court upon hearing the contentions put forth by the learned counsel, and upon scanning the material available on record, is not inclined to interfere in the instant matter, for the reasons noted herein below:

2.1 That the scope of interference is minuscule and need to invoke the writ or extraordinary jurisdiction of this Court is limited. It is opined that in order to invoke such jurisdiction under constitutional provisions, warrants apparent *malafides*,

arbitrariness and illegality. The said view is substantiated from the ratio encapsulated by the Hon'ble Supreme Court in **Life Insurance Corpn. of India and Ors. v. Asha Goel (Smt.) and Another, (2001) 2 SCC 160,** relevant extracts from which are reproduced as under:

> *"10. Article 226 of the Constitution confers extraordinary jurisdiction on the High Court to issue high prerogative writs for enforcement of the fundamental rights or for any other purpose. It is wide and expansive. The Constitution does not place any fetter on exercise of the extraordinary jurisdiction. It is left to the discretion of the High Court. Therefore, it cannot be laid down as a general proposition of law that in no case the High Court can entertain a writ petition under Article 226 of the Constitution to enforce a claim under a life insurance policy. It is neither possible nor proper to enumerate exhaustively the circumstances in which such a claim can or cannot be enforced by filing a writ petition. The determination of the question depends on consideration of several factors like, whether a writ petitioner is merely attempting to enforce his/her contractual rights or the case raises important questions of law and constitutional issues, the nature of the dispute raised; the nature of inquiry necessary for determination of the dispute etc. The matter is to be considered in the facts and circumstances of each case. While the jurisdiction of the High Court to entertain a writ petition under Article 226 of the Constitution cannot be denied altogether, courts must bear in mind the self-imposed restriction consistently followed by High Courts all these years after the constitutional power came into existence in not entertaining writ petitions filed for enforcement of purely contractual rights and*

obligations which involve disputed questions of facts. The courts have consistently taken the view that in a case where for determination of the dispute raised, it is necessary to inquire into facts for determination of which it may become necessary to record oral evidence a proceeding under Article 226 of the Constitution, is not the appropriate forum. The position is also well settled that if the contract entered between the parties provide an alternate forum for resolution of disputes arising from the contract, then the parties should approach the forum agreed by them and the High Court in writ jurisdiction should not permit them to bypass the agreed forum of dispute resolution. At the cost of repetition it may be stated that in the above discussions we have only indicated some of the circumstances in which the High Court have declined to entertain petitions filed under Article 226 of the Constitution for enforcement of contractual rights and obligation; the discussions are not intended to be exhaustive. This Court from time to time disapproved of a High Court entertaining a petition under Article 226 of the Constitution in matters of enforcement of contractual rights and obligation particularly where the claim by one party is contested by the other and adjudication of the dispute requires inquiry into facts. We may notice a few such cases; Mohd. Hanif v. State of Assam; Banchhanidhi Rath v. State of Orissa; Rukmanibai Gupta v. Collector, Jabalpur; Food Corpn. of India v. Jagannath Dutta and State of H.P. v. Raja Mahendra Pal."

(emphasis supplied)

2.2 That in the matter at hand there is no apparent illegality and that the learned learned Permanent Lok Adalat upon assiduous scanning of the vital aspects of the matter at hand has

given its conscience opinion. The relevant upheld opinion of the order dated 11.02.2026 is reproduced herein under:

> *"14.* यदि प्रार्थी के द्वारा पुलिस थाना बिलासपुर में दुर्घटना की सूचना दी गई होती तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि पुलिस थाना बिलासपुर में प्रार्थी की रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं की जाती। प्रार्थी की इस रिपोर्ट में कहीं भी कोई दिनांक अंकित नहीं है कि यह रिपोर्ट पुलिस थाना बिलासपुर में कब दी गई। इस रिपोर्ट को पढ़ने से यह क्रेन की सहायता से हटाया गया। हमारे विनम्र मत में यदि पुलिस थाना बिलासपुर मौके पर पहुंचती तो इस प्रकार की रिपोर्ट पुलिस थाना बिलासपुर के रोजनामचा में अवश्य लिखी जाती।
>
> *15.* एक अन्य तथ्य इस फोटोप्रति रिपोर्ट से यह भी सामने आता है कि इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को दुर्घटना की सूचना नहीं मिली थी क्योंकि इस रिपोर्ट में पुलिस का मौके पर आना लिखा है, जिसका तात्पर्य है कि पुलिस किसी अन्य सूक्ता पर मौके पर आई थी। अतः पुलिस का मौके पर आने का तथ्य प्रार्थी के दस्तावेजों से प्रमाणित नहीं है। इस रिपोर्ट में प्रार्थी ने अपने ड्राईवर का नाम भी नहीं बताया है कि वक्त दुर्घटना कौन ड्राईवर वाहन को चला रहा था। क्योंकि प्रार्थी स्वयं के अनुसार यह दुर्घटना के समय वाहन में मौजूद नहीं था। इस प्रकार से हम यह पाते हैं कि प्रार्थी के द्वारा पुलिस थाना बिलासपुर में रिपोर्ट दर्ज कराने से संबंधित तथ्य प्रमाणित नहीं हैं तथा यह प्रकट होता है कि इस प्रकार की फोटोप्रति रिपोर्ट जो न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, सत्य नहीं है।
>
> *16.* प्रार्थी ने उक्त दुर्घटनागस्त वाहन में सीताराम स्टोन क्रेशर से रोडी भरकर चरखी दादरी से गुरूग्राम जाना बताया है। इस संबंध में अप्रार्थी पक्ष ने अपने जबाव की चरण संख्या *4* में इस बात को अंकित किया था कि माल भरने के कथन की जाव करने पर अन्वेक्षणकर्ता को सीताराम स्टोन क्रेशर ने संबंधित इनवाइस नम्बर *1389* दिनाक *23.07.2019* दिखाने से मना कर दिया था। जब भी किसी माल वाहक वाहन में माल का परिवहन किया जाता है तो बिना बिल्टी के वाहन परिवहन नहीं करता। प्राथर्थी का यह दायित्व था कि वाहन में भरे हुए माल से संबंधित बिल्टी की प्रतिलिपि न्यायालय तिलिपि के समक्ष प्रस्तुत करता. जिससे प्रार्थी के इस कथन को बल मिलता कि वाहन दुर्घटना चरखी दादरी से गिटटी भरकर गुरुग्राम जा रहा था। वाहन में भरे हुए माल की तोल

करवाई गई हो उसके संबंध में भी कोई पर्ची आदि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है।

17 दुर्घटनास्थल के संबंध में भी प्रार्थी इस न्यायालय के समक्ष साफ हाथों में नहीं आया है। वाहन को दुर्घटनास्थल से हटा दिया गया और दुर्घटनास्थल कौनसा था इसको कोई नहीं जानता। इस प्रकरण की पत्रावली में सर्वेयर के द्वारा लिए गए कुछ फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये हैं। इन फोटोग्राफ्स से एक बात तो यह सामने आती है कि सर्वेयर ने सही तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन की सही प्रकार से फोटो नहीं ली गई हैं किसी भी फोटो में वाहन की नंबर प्लेट को नहीं दर्शाया गया है। इसके अलावा मौके पर वाहन की वास्तविकता जानने हेतु उसका कोई इंजन नम्बर या चेचिस नम्बर को ट्रेस पेपर पर नहीं लिया है। इसके अलावा जो फोटोग्राफ लिये गये हैं वह भी दुर्घटना को संदिग्ध बना देते हैं। शीट नम्बर *3* में फोटोग्राफ संख्या *3* जिसे लाल स्याही से आज ही मार्क किया गया है, में वाहन की फोटो को देखें और शीट संख्या *2* के क्रम संख्या *3* पर वाहन के फोटो को देखें तो यह बिल्कुल विपरीत फोटो हैं। शीट संख्या *3* के फोटो संख्या *3* में वाहन की पीछे की बॉडी सही सलामत दिखाई देती है जबकि शीट संख्या *2* में फोटो संख्या *3* में देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वाहन की पीछे की बॉडी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और वह बॉडी कहां गई यह भी दिखाई नहीं देता। कुल मिलाकर फोटोग्राफ जो सर्वेयर के द्वारा लिये गये हैं उससे भी दुर्घटना का मामला संदिग्ध प्रतीत होता है।

18. एक तरफ अप्रार्थी पक्ष जबाव में यह बात लिखता है कि सीताराम स्टोन क्रेशर वाले ने इनवाइस उपलब्ध नहीं कराई। दूसरी तरफ सर्वेयर इनवाइस का नम्बर डालकर वजन आदि अपनी रिपोर्ट में लिखता है जबकि इस प्रकरण में सम्पूर्ण पत्रावली पर इस प्रकार का कोई इनवाइस ना तो प्रार्थी के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है और ना हीं अप्रार्थी पक्ष की ओर से उपलब्ध करवाया गया है। जिससे भी सर्वेयर की रिपोर्ट संदिग्ध प्रतीत होती है।

19. इस प्रकरण में एक महत्वपूर्ण बात यह भी सामने आई है कि इस वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र शाहपुरा, जयपुर डीटीओ के द्वारा ब्लेक लिस्ट कर दिया गया था। न्यायालय के संज्ञान में यह आया है कि वाहन का पंजीकरण ब्लेक लिस्ट करने के बाद वाहन का फिटनेस व परमिट आदि प्राप्त नहीं किया जा सकता। यद्यपि सर्वेयर फिटनेस व परमिट को वैध बताया है लेकिन प्रार्थी के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष वाहन का

परमिट व फिटनेस प्रस्तुत नहीं किया गया है। हमारे विनम्र मत में, जब यह स्थाई लोक अदालत वाहन में हुए नुकसान से संबंधित राशि के क्लेम का परीक्षण कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि बिना सूक्ष्मता व सावधानी से विवेचन करे अपना कोई मत प्रकट कर दे। इस न्यायालय के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार के क्लेम प्रार्थना पत्र में दोनों पक्षों के अभिवचनों व प्रस्तुत देस्तावेजों व समस्त परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक कानून के दायरे में रहते हुए परीक्षण करे और तब उस पर कोई मत व्यक्त करे। प्रार्थना पत्र को प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थी का होता है, ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी के लिए समस्त वास्तविक तथ्य न्यायालय के समक्ष रखना आवश्यक था और उनसे संबंधित दस्तावेजात् भी प्रार्थी को न्यायालय के समक्ष रखने चाहिए थे. लेकिन प्रार्थी इत्तम असमर्थ रहा है।

20. इस प्रकरण में जैसा कि हमने ऊपर कहा है कि दुर्घटनास्थल को बदल दिया गया है। सर्वप्रथम तो चरखी दादरी व गुरूग्राम के मध्य बिलासपुर नहीं आता। इसके अलावा जिस स्थान पर दुर्घटना हुई वहां से भी वाहन को अन्य स्थान पर हटा दिया गया तथा इस प्रकरण में जो वाहन चालक था उसका कोई शपथ पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही यह बताया गया कि वाहन चालक के साथ कोई क्लीनर था या नहीं। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद वाहन चालक को जरा सी भी चोट नहीं आयी, यह बात भी प्रकरण की परिस्थितियों में दुर्घटना को संदिग्ध बना देती हैं।"

2.3 That the reasoning adopted by the learned Permanent Lok Adalat is justified *vis-a-vis* the facts and circumstances of the matter and the same ought not to be interfered by the High Court, under its supervisory or writ jurisdiction, as this Court is of a considered opinion that for redressal of the matter at hand, minute disputed question of facts are addressed and the appropriate authority to carry out the said exercise is learned Permanent Lok Adalat. It is also noteworthy that the awards passed by the Permanent Lok Adalat are conclusive, and final in nature, as per the scheme and objective of the Legal Services

Authorities Act, 1987, more specifically as per the provisions enshrined under Section 22E, which is reproduced as under:

> *"**22E. Award of Permanent Lok Adalat to be final.**—(1) Every award of the Permanent Lok Adalat under this Act made either on merit or in terms of a settlement agreement shall be final and binding on all the parties thereto and on persons claiming under them.*
>
> *(2) Every award of the Permanent Lok Adalat under this Act shall be deemed to be a decree of a civil court.*
>
> *(3) The award made by the Permanent Lok Adalat under this Act shall be by a majority of the persons constituting the Permanent Lok Adalat.*
>
> *(4) Every award made by the Permanent Lok Adalat under this Act shall be final and shall not be called in question in any original suit, application or execution proceeding.*
>
> *(5) The Permanent Lok Adalat may transmit any award made by it to a civil court having local jurisdiction and such civil court shall execute the order as if it were a decree made by that court."*

3. In summation of the above-noted, it can be jot down that the awards passed by the learned Permanent Lok Adalat, ought not to be judicially reviewed unless there is apparent arbitrariness or the award is *ex facie* non speaking; that when the award passed by the learned Permanent Lok Adalat covers all the parameters of vital consideration and circumstances, rather is sans any perversity, arbitrariness, violation of natural justice, malafides; that in view of *ex facie* non-arbitrariness and the view laid down in **Life Insurance Corpn. of India (supra),** that as per the mandate of Section 22E of the governing statute, which makes it

categorically clear that the awards passed by the learned Permanent Lok Adalat are conclusive and final in nature, this Court is not inclined to entertain the present petition.

4. In view of the aforementioned, the instant petition is dismissed being bereft of any merits and there exist no apparent arbitrariness in the impugned award dated 11.02.2026 passed by the learned Permanent Lok Adalat.

(SAMEER JAIN),J

Pooja /14